

उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा

डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ)

सेक्टर-11, जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ

विवरण पुस्तिका (UPSEE – 2019)

[हिन्दी संस्करण]

प्रवेश हेतु

प्रथम वर्ष में

बी०टेक० / बी०आर्क० / बी०डेस० / बी०फार्मा० / बी०एच०एम०सी०टी० / बी०एफ०
ए०डी० / बी०एफ०ए० / बी०वाक० / एम०बी०ए० / एम०बी०ए० (एकीकृत) /
एम०सी०ए० / एम०सी०ए०(एकीकृत) / एम०टेक०(द्यूल डिग्री)
एवं

द्वितीय वर्ष में

बी०टेक० / बी०फार्मा० / एम०सी०ए० (पार्श्व प्रवेश)
एवं

एम०टेक०* / एम०फार्म०* / एम०आर्क०* / एम०डेस०*

आनलाइन फार्म भरने की तिथि (प्रारम्भ)
23 जनवरी, 2019 (अपराह्न 2:00 बजे) से

फार्म भरने की अन्तिम तिथि
15 मार्च, 2019 (अपराह्न 05:00 बजे) तक

परीक्षा तिथि
21 अप्रैल, 2019 (रविवार)

बेवसाइट
<http://www.upsee.nic.in>

हेल्पडेस्क (सोमवार से शनिवार प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)
टोल फ्री नम्बर : 1800-180-0161
अन्य दूरभाष नम्बर 0522-2336800, 05222336811
ई-मेल : upsee.helpdesk@aktu.ac.in

पता:

कुलसचिव

डा० ए०पी०जे०अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
सेक्टर-11, जानकीपुरम् विस्तार, लखनऊ – 226 031 (उ०प्र०) भारत
दूरभाष : 0522 – 2771079, Fax: 0522 – 2732185

ई- मेल: registrar@aktu.ac.in

बेवसाइट: <https://aktu.ac.in>

*तारांकित पाद्यक्रमों हेतु उपलब्ध अतिरिक्त विवरण पुस्तिका देखें।

महत्वपूर्ण निर्देश

बी०टेक०/बी०आर्क०/बी०डेस०/बी०फार्मा०/बी०एच०एम०सी०टी०/बी०एफ०ए०डी०/
बी०एफ०ए०/बी०वाक०/एम०बी०ए०/एम०बी०ए०(एकीकृत)/एम०सी०ए०/एम०सी०ए०(
एकीकृत)/एम०टेक०(ड्यूल डिग्री) एवं बी०टेक०/बी०फार्मा०/एम०सी०ए० (पाश्व प्रवेश)
में प्रवेश हेतु

1. प्रवेश हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थी केवल वेबसाइट <http://www.upsee.nic.in> के माध्यम से ही आन-लाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. आन लाइन आवेदन, वेबसाइट <http://www.upsee.nic.in> के माध्यम से दिनांक 23 जनवरी, 2019 की अपराह्न 2.00 बजे से 15 मार्च, 2019 की अपराह्न 5.00 बजे तक किये जा सकते हैं।
3. अभ्यर्थियों के लिए सुझाव है कि आन लाइन आवेदन करने से पूर्व विवरण पुस्तिका सावधानी पूर्वक पढ़ लें एवं अपनी पात्रता अनुमन्य आरक्षण कैटेगरी इत्यादि से भली-भौति अवगत हो लें।
4. राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश उन अभ्यर्थियों के लिए खुला है जो उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी संस्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण किया हो अथवा उनके माता या पिता उ०प्र० के मूल/स्थायी निवासी हैं एवं विवरण पुस्तिका में दी गयी पात्रता शर्तों के अधीन आते हैं। यदि अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा उ०प्र० के बाहर के किसी संस्थान से उत्तीर्ण की है तो डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन के समय अपने माता/पिता के उ०प्र० के मूल/स्थायी निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. राज्य प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होने के पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ०प्र० के बाहर स्थित किसी भी संस्थान से उत्तीर्ण की है तथा उनके माता और पिता उ०प्र० के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं एवं विवरण पुस्तिका में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अंतर्गत आते हैं।
6. अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि पूर्ण रूप से भरे हुए आन लाइन आवेदन पत्र के “कन्फर्मेशन पेज” की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जानकारी/सूचना हेतु “कन्फर्मेशन पेज” का प्रिन्ट आउट सुरक्षित रखें। अभ्यर्थियों को सलाह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु “एप्लीकेशन नम्बर” नोट कर लें एवं सुरक्षित रखें।
7. आन लाइन आवेदन करने हेतु कृपया विवरण पुस्तिका के प्रस्तर 18, 19, 20 एवं 21 का संदर्भ लें।
8. अभ्यर्थी द्वारा इस स्तर पर किसी भी डाकूमेन्ट की हार्ड/साप्ट प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
9. ए०के०टी०य०० से सम्बद्ध संस्थानों के समस्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें बिना किसी आरक्षण के यू०पी०एस०ई०ई०–२०१९ की मेरिट के आधार पर भरे जाने की अनुमति प्रदान की है।*
10. यू०पी०एस०ई०ई०–२०१९ से आच्छादित पाठ्यक्रमों में न्यूनतम या अधिकतम कोई आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।
11. किसी भी संस्थान में प्रवेश से यह उपलक्षित है कि अभ्यर्थी व उसके माता-पिता/अभिभावक विवरण पुस्तिका एवं उस संस्थान के प्रास्पेक्टस में दिये गये सभी नियमों व प्रावधानों को स्वीकार करते हैं। सभी अभ्यर्थियों पर उस संस्थान के नियम/निर्देश, फीस, विशेष शर्तें आदि में परिवर्तन (यदि कोई हो) स्वमेव लागू होंगे।
12. आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अद्यतन कलर फोटोग्राफ, तथा हस्ताक्षर का इमेज अपलोड करना आवश्यक है। अस्पष्ट/गलत फोटोग्राफ वाले आवेदन स्वतः निरस्त किये जाने के पात्र होंगे।
13. जो अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी, उप-श्रेणी, ग्रामीण अधिमान आदि का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट ‘डी’ में दिये प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा एक अभि-प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन के समय ही प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के समय कोई भी प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्रों के प्रारूप उत्तर प्रदेश शासन के निर्णयों के अधीन हैं। कृपया नोट करें कि अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अतः ध्यान दें कि प्रमाण पत्र संख्या-२ दिनांक 31.07.2019 तक कम से कम वैध हो

*राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में काउंसिलिंग तक परिवर्तन सम्बन्ध

यदि प्रमाण पत्र में कोई वैधता अंकित नहीं है तो यह प्रमाण पत्र संख्या –2 दिनांक 01.04.2019 या उसके बाद का जारी होना चाहिये अन्यथा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (अति महत्वपूर्ण)

14. वे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अंतिम परीक्षा परीणाम के लिए प्रतीक्षारत हैं वे राज्य प्रवेश परीक्षा–2019 में सम्मिलित हो सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, किसी भी स्थिति में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।
15. डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा घोषित परीक्षा, UPSEE-2019 का परीक्षा परिणाम अंतिम होगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण रु. 5000/- प्रति प्रश्न पत्र की दर से भुगतान देकर परिणाम घोषणा के 7 दिन के अंदर करा सकते हैं। परिनिरीक्षण हेतु आवेदन, कुलसंघिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ (उ०प्र०)-226031 को लिखित रूप में किया जा सकेगा।
16. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी अभिलेख/घोषणा—पत्र किसी भी स्तर पर फर्जी/गलत पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र लखनऊ तक सीमित रहेगा।
17. वे अभ्यर्थी, जो परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह नहीं हैं, फिर भी सम्मिलित हैं, वे किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तों से पहले ही आश्वस्त हो लें।
18. UPSEE-2019 के परीक्षा शुल्क प्रत्येक पाठ्यक्रमों/प्रवेश के लिए रु. 1300.00 सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष/ट्रान्सजेंडर के लिये एवं रु. 650.00 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी/एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों/दिव्यांग जनों के लिए निर्धारित की गई है।
19. कालेज/संस्थान में पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या काउन्सिलिंग की तिथि तक घट-बढ़ सकती है।
20. यदि कोई बोर्ड/विश्वविद्यालय अंक पत्र पर समतुल्य प्रतिशत अंक न देकर केवल ग्रेड देता है तब अभ्यर्थी को चाहिए कि वह बोर्ड/विश्वविद्यालय से समतुल्य अंक प्रमाण पत्र लेकर काउन्सिलिंग के समय जमा करे। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तब उसकी पात्रता के बारे में केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा।
21. काउन्सिलिंग द्वारा सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की मेरिट, उसके द्वारा सीटों के चयन पर लिया गया अन्तिम वरीयता निर्णय तथा रिक्त सीटों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। एक बार किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाने पर ब्रान्च या संस्था में से किसी में भी कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
22. सीट आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा काउन्सिलिंग के समय जमा की गयी फीस की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा किसी भी दशा में जमा धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
23. विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।
24. यह विवरण पुस्तिका अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में है किसी भी भ्रम की दशा में अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।
25. UPSEE-2019 के संबंध में समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि <http://aktu.ac.in> or <http://www.upsee.nic.in> के माध्यम से निर्गत की जायेंगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इन वेबसाइट को नियमित रूप से देखें क्योंकि किसी भी प्रकार से सूचना के अभाव में अभ्यर्थियों को होने वाले नुकसान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा।
26. आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कमी अथवा त्रुटि की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा और इस संदर्भ में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय न होगा।
27. विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

नोट— य०पी०ए०स०ई०ई०—2019, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों के कुछ पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश य०पी०ए०स०ई०ई०—2019 के माध्यम से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा (यूपीएसईई)–2019
डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(बी०टेक० / बी०टेक०(कृषिअभि०) / बी०टेक० (बायो टेक्नोलाजी) बी०फार्म० /
बी०आर्क० / बी०डेस० / बी०एच०एम०सी०टी० / बी०एफ०ए०डी० / बी०एफ०ए० /
बी०वाक० / एम०बी०ए० / एम०बी०ए०(एकीकृत) /
एम०सी०ए० / एम०सी०ए०(एकीकृत) / एम०टेक०(ड्यूल डिग्री)
एवं

सीधे द्वितीय वर्ष में बी०टेक० / बी०फार्म० / एम०सी०ए० पाठ्यक्रमों हेतु

ध्यानाकर्षण: अंग्रेजी लिपि में प्रकाशित हुए विवरण का हिन्दी रूपान्तरण नीचे दिया जा रहा है लेकिन किसी भी विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में छपे विवरण ही संज्ञान में लिये जायेंगे।

1. केन्द्रीय प्रवेश समिति (सी.ए.बी)

डिग्री स्तरीय अभियंत्रण व अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा के आयोजन का कार्य शासनादेश संख्या: 4649 / सोलह-1-2018-14(54) / 2012 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सौंपा गया है। उक्त के कम में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश संख्या: ____ / सोलह-1-2017-14(54) / 2012 दिनांक _____ के द्वारा राज्य प्रवेश परीक्षा के संचालन एवं नियन्त्रण के लिये कुलपति, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय प्रवेश समिति के गठन की सहमति प्राप्त है। केन्द्रीय प्रवेश समिति को राज्य प्रवेश परीक्षा, जिसे यहाँ यूपीएसईई–2019 (UPSEE-2019) के रूप में कहा गया है, को इसके संचालन के पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रवेश तथा सीट आवंटन की प्रक्रिया के निर्णय लेने के भी अधिकार प्राप्त हैं। इस समिति का परिषेक्त्र डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान है।

2. प्रवेश प्रक्रिया

2.1 प्रथम वर्ष में प्रवेश:

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की उपाधि के लिये डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध संस्थाएं एवं उत्तर प्रदेश के अन्य इंगित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के प्रथम वर्ष में शैक्षिक सत्र 2019–20 में प्रवेश हेतु डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा UPSEE-2019 के नाम से प्रवेश परीक्षा संचालित की जा रही है:

4 वर्षीय बी०टेक०/बी०टेक०(कृषि) पाठ्यक्रम	4 वर्षीय बी०एफ०ए० पाठ्यक्रम
4 वर्षीय बी०टेक०(बायो टेक्नोलॉजी) पाठ्यक्रम	2 वर्षीय एम०बी०ए० पाठ्यक्रम
4 वर्षीय बी० फार्म० पाठ्यक्रम	3 वर्षीय एम०सी०ए० पाठ्यक्रम
5 वर्षीय बी० आर्क० पाठ्यक्रम	5 वर्षीय एम०सी०ए० (एकीकृत) पाठ्यक्रम
4 वर्षीय बी०डेस० पाठ्यक्रम	5 वर्षीय एम०बी०ए० (एकीकृत) पाठ्यक्रम
4 वर्षीय बी०एच०एम०सी०टी० पाठ्यक्रम	5 वर्षीय एम०टेक० (ड्यूल डिग्री) पाठ्यक्रम
4 वर्षीय बी०वाक० पाठ्यक्रम	
4 वर्षीय बी०एफ०ए०डी० पाठ्यक्रम	

2.2 सीधे द्वितीय वर्ष बी०टेक०/बी०फार्म०/एम०सी०ए० में प्रवेश:

- (i) पात्र अभ्यर्थी डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी०टेक० (डिप्लोमा एवं बी.एस.सी. स्नातक दोनों) अथवा बी०फार्म० (डिप्लोमा वर्ग) अथवा एम०सी०ए० (बी०सी०ए०, बी०एस०सी० आई०टी०/कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के लिये (विवरण पुस्तिका का प्रस्तर 3.3 देखें) निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र भरें। ऐसे अभ्यर्थियों को उपर्युक्त प्रवेश परीक्षा में संबंधित प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
- (ii) पिछले वर्ष प्रथम वर्ष के स्तर पर स्वीकृत क्षमता के ऊपर अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही अनुमन्य पाठ्यक्रमों में इस प्रकार का प्रवेश सीमित रहेगा। जब कि बी०फार्म० में अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। ।
- (iii) बी०एस०सी० स्नातक का प्रवेश, डिप्लोमा अभ्यर्थी को बी०टेक० में सीट एलाटमेन्ट के बाद बची हुई सीट पर लिया जायेगा।
- (iv) बी.आर्क./बी.एच.एम.सी.टी./बी.एफ.ए.डी./बी०एफ०ए०/बी०डेस/एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों में द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश नहीं किया जायेगा।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी संस्थान से उत्तीर्ण की है और उनके अभिभावक (माता-पिता) उत्तर प्रदेश राज्य के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं, वे बी०टेक०/बी०फार्म०/एम०सी०ए० के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं हैं।

2.3 विभिन्न स्कीम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की सीटें:

- (i) डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रस्तर 2.4 के तहत भरी गयी सीटों को घटाकर केवल UPSEE-2019 से किया जायेगा।
- (ii) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें एन०आर०आई०/मैनेजमेन्ट कोटे के अंतर्गत अभ्यर्थियों के लिए संरक्षित की गई हैं जिन पर प्रवेश की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। शेष बची सीटें UPSEE-2019 की आन लाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से भरी जायेंगी।
- (iii) राज्य सरकार ने ए०के०टी०य० से सम्बद्ध निजी संस्थानों के समस्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें बिना किसी आरक्षण के य०पी०एस०ई०ई०-2019 की मेरिट के आधार पर भरे जाने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार ए०के०टी०य० से सम्बद्ध निजी संस्थानों के समस्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत कुल सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के लिए खुली होगी। यह सीटें य०पी०एस०ई०ई०-2019 की मेरिट के आधार पर भरी जायेगी।
- (iv) अतः प्रदेश के सभी शासकीय/शासकीय सहायतित/शासकीय स्ववित्त पोशी संस्थाओं में सभी 100 प्रतिशत सीटें UPSEE-2019 द्वारा भरी जायेगी।
- (v) इस प्रकार निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 85 प्रतिशत सीटें य०पी०एस०ई०ई०-2019 के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

2.4 अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थियों का प्रथम वर्ष में प्रवेश:

अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी जो प्रवेश की निर्धारित अर्हता रखते हैं, राजकीय/राज्य सहायतायित इन्जीनियरिंग कालेजों एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों जिन्हें इस आशय का अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त है, में कुल उपलब्ध सीटों की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश ले सकते हैं, जो शासन द्वारा निर्गत नवीनतम सुसंगत निर्देशों पर निर्भर करेगा। विस्तृत विवरण मई 2019 में विभिन्न समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। पात्रता की शर्तें अंग्रेजी अंश के पैरा 3.4 में देखें। इन अभ्यर्थियों को य०पी०एस०ई०ई०-2019 की प्रवेश परीक्षा में समिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि बी०आर्क० पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग तिथि को एप्टीट्यूट टेस्ट में समिलित होना होगा।

2.5 कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रवेश:

कृपया विवरण पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण के पैरा 2.5 में देखें।

2.6 विदेशी नागरिक/भारतीय मूल के व्यक्ति/खाड़ी देशों में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों के प्रवेश:

कृपया विवरण पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण के पैरा 2.6 में देखें।

** उक्त 10 प्रतिशत का नियम काउन्सिलिंग के तिथि तक उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार बदल सकते हैं।

2.7 मेरिट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर मेरिटोरियस (गुणी) अभ्यर्थियों हेतु शुल्क मुक्त सीटों पर प्रवेश:

अभातशिप के नोटीफिकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर मेरिटोरियस (गुणी) अभ्यर्थियों हेतु डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ से सम्बद्ध सभी संस्थानों के बी०टेक०/बी०आर्क०/बी०फार्म०/ बी०एच०एम०सी०टी०/ बी०एफ०ए०डी०/ बी०एफ०ए० कोर्स में शुल्क मुक्त सीटें भी उपलब्ध हैं। इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। ये शुल्क मुक्त सीटें स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त होंगी तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत तक सीमित होंगी। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को प्रपत्र 12 में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बी० आर्क० में कोई शुल्क मुक्त सीट उपलब्ध नहीं है।

3. पात्रता की शर्तें:

3.1 बी०टेक०/बी०फार्म०/बी०आर्क०/बी०डेस०/बी०एच०एम०सी०टी०/बी०एफ०ए०डी०/ बी०एफ०ए०/एम०बी०ए०(एकीकृत)/एम०सी०ए० (एकीकृत) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता की शर्तें:

(i) डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राज्य प्रवेश परीक्षा-2018 में वे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने अर्हकारी (इण्टरमीडिएट, 10+2 अथवा समकक्ष) परीक्षा में निम्न तालिका के अनुसार अर्हकारी विषय लिए हों:-

पाठ्यक्रम	अनिवार्य विषय	निम्न में से कोई एक विषय
बी०टेक०/बी०डेस०/एम०सी०ए०(एकीकृत)	भौतिक शास्त्र एवं गणित	रसायन शास्त्र/बायो-टेक्नोलॉजी/ जीव विज्ञान/टेक्निकल वोकेशनल विषय
बी०टेक० (बायो-टेक्नोलॉजी)	(i) भौतिक शास्त्र एवं (ii) गणित अथवा जीवविज्ञान	रसायन शास्त्र/बायो-टेक्नोलॉजी/ टेक्निकल वोकेशनल विषय
बी०फार्म०	भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र	गणित/बायो-टेक्नोलॉजी/जीव विज्ञान/टेक्निकल वोकेशनल विषय
बी०आर्क०	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित	
बी०टेक० (कृषि प्रौद्योगिकी)	कृषि संबंधित विषय *	
बी०एच०एम०सी०टी०/बी०एफ०ए०डी०/ बी०एफ०ए०/बी०वाक०/ एम०बी०ए० (एकीकृत)	कोई भी विषय	

*कृपया विन्दु संख्या 3.1(vi) पढ़े।

- (ii) बी०टेक० / बी०फार्म / बी०डेस० / एम०सी०ए०(एकीकृत) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अर्हकारी इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होते हुए प्रस्तर 3.1(i) की तालिका में उल्लिखित प्रत्येक अनिवार्य एवं एक ऐच्छिक विषय में बिना ग्रेस के कुल न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (iii) बी०एच०एम०सी०टी० / बी०एफ०ए०डी० / बी०एफ०ए० / एम०बी०ए० (एकीकृत) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अर्हकारी इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों के साथ (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) बिना ग्रेस के स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (iv) बी०आर्क० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अर्हकारी इण्टरमीडिएट, 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में (बिना ग्रेस के) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हुए तथा क्लाज 3.1(i) की तालिका में उल्लिखित प्रत्येक अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों में बिना ग्रेस के स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- (v) वे अभ्यर्थी भी बी०आर्क० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय आर्किटेक्चर (10+3) डिप्लोमा परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया हों। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में बी०आर्क० के लिए निर्धारित पेपर 3 (प्रस्तर 4.3) में बैठना होगा।
- (vi) कृपया बी०टेक० (कृषि अभियोग) के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगे जिन्होंने 10+2 या इण्टरमीडियट या समकक्ष परीक्षा किसी अधिकृत बोर्ड/विश्वविद्यालय से कृषि से सम्बन्धित विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अंकों के साथ बिना किसी कृपांक से उत्तीर्ण की हो।
- (vii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जो बी०टेक० पाठ्यक्रम के पात्र हैं वे बी०टेक० (कृषि अभियोग) और बी०टेक० (बायोटेक्नोलॉजी) के लिए भी पात्र हैं।

3.2 एम०बी०ए० / एम०सी०ए० पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता की शर्तें:

कृपया अंग्रेजी अंश देखें।

3.3 बी०टेक० / बी०फार्म० / एम०सी०ए० के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने हेतु पात्रता की शर्तें:

- (i) द्वितीय वर्ष में बी०आर्क० / बी०एच०एम०सी०टी० / बी०एफ०ए०डी० / बी०एफ०ए० / एम०बी०ए० पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ii) इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक अथवा विज्ञान स्नातक जिन्होंने 10+2 गणित विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो बी०टेक० पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में, / फार्मेसी में डिप्लोमा धारक बी० फार्मा के द्वितीय वर्ष में तथा बी०सी०ए० या बी०एस०सी० (आई०टी० / कम्प्यूटर साइंस डिग्री) धारक एम०सी०ए० द्वितीय वर्ष में सीधा प्रवेश मात्र ४०के०टी०यू०, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों/महाविद्यालयों में खुला है। जिस अभ्यर्थी ने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर के संस्थान से उत्तीर्ण की है एवं उसके माता/पिता का भी मूल/स्थायी निवास उत्तर प्रदेश से बाहर है, वह अभ्यर्थी बी०टेक० / बी०फार्मा / एम०सी०ए० के द्वितीय वर्ष में सीधी भर्ती हेतु पात्र नहीं है।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उ०प्र० में स्थित किसी संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है अथवा जिनके माता पिता उ०प्र० के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने उ०प्र० बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन से मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्थान से तीन वर्षीय इंजी० डिप्लोमा, (कृषि इंजी० / फार्मेसी / आर्किटेक्चर शाखाओं को छोड़कर) की किसी भी शाखा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है, इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखाओं हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र है।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उ०प्र० में स्थित किसी संस्थान से तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कृषि शाखा से 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है अथवा जिनके

माता पिता उ०प्र० के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने उ०प्र० बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्थान से तीन वर्षीय इंजी० डिप्लोमा कृषि शाखा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है, कृषि इंजी० शाखा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र हैं।

- (v) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक परीक्षा एवं 10+2 में गणित एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं बोर्ड से न्यूनतम कुल 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण की है, भी इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखाओं हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र हैं। ऐसे विज्ञान स्नातक अभ्यर्थी, डिप्लोमा किये अभ्यर्थियों से बची हुयी अतिरिक्त सीटे ही ले सकेंगे तथा प्रवेश लेने के बाद द्वितीय वर्ष के विषयों के साथ इंजी० के प्रथम वर्ष के विषय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स/इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी उत्तीर्ण करने होंगे।
- (vi) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने उ०प्र० में रिथ्यूमनेशन किसी संस्थान से फार्मेसी में दो/तीन वर्षीय डिप्लोमा 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है अथवा जिनके माता पिता उ०प्र० के मूल निवासी हैं तथा जिन्होंने उ०प्र० बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/संस्थान से डिप्लोमा, फार्मेसी में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों सहित (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 40 प्रतिशत) उत्तीर्ण किया है, बी०फार्म० द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पात्र है।
- (vii) डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध एम०सी०ए० पाठ्यकार्यों में द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु बी०सी०ए० अथवा बी०ए०स०सी० (आई०टी०/कम्प्यूटर साइंस) डिग्री धारक जिन्होंने ए०आई०य०२० से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति के लिए 45 प्रतिशत) अंकों से उत्तीर्ण किया हो तथा जिनके पास इंटर भीड़िएट अथवा स्नातक स्तर पर गणित एक विषय हो, प्रवेश के पात्र होंगे।
- (viii) ग्रेस मार्क के साथ पास अभ्यर्थी किसी भी दशा में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।

3.4 अप्रवासीय भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु अर्हता:

कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

3.5 विदेशी नागरिक/भारतीय मूल के व्यक्ति/खाड़ी देशों के कार्मिकों के बच्चों के प्रवेश हेतु अर्हता:

कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

3.6 निजी संस्थानों में प्रथम वर्ष में एन०आर०आई०/मैनेजमेन्ट कोटा/काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु अर्हताएं:

कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

3.7 काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी संस्थानों में द्वितीय वर्ष (लेटरल इन्ट्री) की रिक्त सीटों पर प्रवेश अर्हताएं:

कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

4. परीक्षा योजना:

UPSEE-2019 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के रूप में कुल 08 प्रश्न पत्र होंगे (प्रश्नपत्र 3 का भाग 'ख' को छोड़कर)। उक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रश्न पत्र एवं विषयों का चुनाव अभ्यर्थी इस विवरण पुस्तिका के प्रस्तर-4.3 में बने सारिणी के वर्णन के अनुसार प्रस्तर-3 में दर्शायी गई अर्हता सुनिश्चित करते हुए करें। समस्त प्रश्नपत्र ओ०एम०आर० आधारित टेस्ट होंगे।

4.1 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं निगेटिव मार्किंग:

- (i) सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर विशेष प्रकार से बनायी गयी ओ० एम० आर० शीट पर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक सही उत्तर दिया जाना है।

- (ii) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4/5 (बी0आर्क) अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक से अधिक गोलों को रंगने पर उत्तर गलत माना जायेगा एवं इसके लिए कोई भी अंक देय नहीं होगा।
- (iii) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा। यद्यपि अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों का एक रिकार्ड अलग से रखा जायेगा।
- (iv) प्रश्नों के उत्तर को ओ0एम0आर0 शीट प्रश्नपत्र पर केवल काली/नीली बाल प्वाइन्ट कलम द्वारा रंगा जायेगा। उत्तर ओ0एम0आर0 शीट पर जो भी विवरण अभ्यर्थी द्वारा अंकित किया जायेगा उसे ही अन्तिम मानते हुए उत्तर से संबंधित ओ0 एम0 आर0 शीट का मूल्यांकन किया जायेगा।

4.2 प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र एवं विषय:

कृपया विवरण पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण का पैरा 4.2 देखें।

4.3 विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्नपत्र:

कृपया विवरण पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण का पैरा 4.3 देखें।

5. परीक्षा कार्यक्रमः

कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

6. सिलेबस (पाठ्यक्रम):

प्रवेश परीक्षा-2019 का सिलेबस परिशिष्ट 'ए' पर दिये गये हैं।

7. मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणामः

7.1 UPSEE-2019 परीक्षा परिणाम जून माह 2019 के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जायेगा।

7.2 राज्य प्रवेश परीक्षा-2019 में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सूची अलग-अलग तैयार की जायेगी। मेरिट पोजीशन एवं अंक तालिका वेबसाइट पर परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त उपलब्ध होगी।

7.3 बराबर अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की आपसी योग्यता का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा:-

- (क) सर्वप्रथम दिये गये गलत उत्तरों के प्रतिशत के आधार पर अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी जिसके गलत उत्तरों का प्रतिशत कम है वे वरीयताक्रम में ऊपर रखे जायेंगे।
- (ख) तत्पश्चात्,

बी0टेक0 / बी0टेक0(एग्री0 (एकीकृत)	इंजी0) / एम0सी0ए0 पेपर 1 के क्रमशः गणित एवं भौतिकी अनुभाग के अंक के आधार पर एवं समान होने पर उम्र * के आधार पर
बी0फार्म0	पेपर 2 के क्रमशः जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी अनुभाग के अंक के आधार पर एवं समान होने पर उम्र* के आधार पर
बी0आर्क0	पेपर 3 के क्रमशः ड्राइंग एप्टीट्यूड, गणित एवं एस्थेटिक सेन्सटिविटी अनुभाग के अंक के आधार पर एवं समान होने पर उम्र* के आधार पर
बी0टेक0(बायोटेक इंजी0)	बी0टेक0 / बी0फार्म0 की भाँति
बी0डेस / बी0एच0एम0सी0टी0 / बी0एफ0ए0डी0 / बी0एफ0ए0 / एम0बी0ए0 / बी0वाक0 / एम0बी0ए0(एकीकृत) एम0सी0ए0 / डिप्लोमाधारी अथवा विज्ञान वर्ग के स्नातक	केवल उम्र * के आधार पर

- (g) * अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी बराबर मेरिट की दशा में ऊपर रखा जायेगा।
इसके बाद एक से अधिक अभ्यर्थी समान होने पर एप्लीकेशन नम्बर के आधार पर, कम एप्लीकेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

- 7.4** प्रवेश परीक्षा में 25 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 20 प्रतिशत) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सफल माने जायेंगे।
7.5 विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध इनटेक एवं सीट के आधार पर समाचार पत्रों एवं इन्टरनेट के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों के अलग—अलग समय पर काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जायेगा। परन्तु आवंटन, तत्समय सीटों की उपलब्धता पर निर्भर होगा। सफल अभ्यर्थी को चाहिए कि वेबसाइट www.aktu.ac.in, www.upsee.nic.in से काउन्सिलिंग कार्यक्रम डाउनलोड कर काउन्सिलिंग के लिए उपस्थित हो जायें।

8. वर्गीकरण परिभाषायें (Category Definitions)

- 8.1** ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अहंकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी संस्थान से पास की है तथा जिन्होंने कोई आरक्षित श्रेणी नहीं मांगी है, सभी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सामान्य (ओपेन) सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं, (कोई वर्गीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं)।

[UPGE]

- 8.2** ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अहंकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं तथा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ावर्ग श्रेणी में आते हैं, सभी संस्थानों के सभी पाठ्यक्रमों में उनकी श्रेणी में उपलब्ध आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं। (प्रमाण पत्र संख्या 1 अथवा 2 आवश्यक)। अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों की सूची उ.प्र. अधिनियम 1976 एवं शासनादेश संख्या 4/1/2001—टी.सी./का-2/2002 दिनांक 19/09/2002 अनुलग्नक—एफ पर संलग्न है।

UPSC/UPST/UPBC

- 8.3** ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अहंकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा जिनके माता अथवा पिता उत्तर प्रदेश के मूल/स्थाई निवासी हैं तथा जिन्होंने किसी आरक्षित श्रेणी की मांग नहीं की है, उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सामान्य (अनारक्षित) सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। (ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता/माता का मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या 3 काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है)।

[UPGD]

- 8.4** ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अहंकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्थान से पास की हैं तथा जिनके माता पिता (माता या पिता) उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं तथा जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ावर्ग के श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थानों के पाठ्यक्रमों में उनकी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश हेतु पात्र हैं। (ऐसे अभ्यर्थियों को अपने पिता/माता का मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या 3 तथा प्रमाण पत्र संख्या 1 अथवा 2 आवश्यक है)। अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आने वाली जातियों की सूची उ.प्र. अधिनियम 1976 एवं शासनादेश संख्या 4/1/2001—टी.सी./का-2/2002 दिनांक 19/09/2002 अनुलग्नक—एफ पर संलग्न है।

[GDSC/GDST/GDBC]

- 8.5** निम्न प्रकरणों में माता/पिता की अधिवास आवश्यकतायें शिथिल की गयी हैं और इस प्रकार के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमत्य किया गया है:

- (i) सेवा निवृत्त/युद्ध में अपंगता के पश्चात प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले रक्षा कर्मचारी अथवा युद्ध में मारे जाने के पश्चात प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले रक्षा कर्मचारियों के आश्रित ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को (प्रमाण पत्र संख्या 5 अनिवार्य है)।
- (ii) ऐसे रक्षा कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश के अधिवासी नहीं हैं, परन्तु प्रवेश परीक्षा तिथि को उत्तर प्रदेश में नियुक्त है (प्रमाण पत्र संख्या 5 अनिवार्य है)।
- (iii) उत्तर प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री **GDDA** के अभ्यर्थियों को सभी लाभों के लिए **UPGD** श्रेणी के समतुल्य माना जायेगा (प्रमाण पत्र संख्या 11 अनिवार्य है)।

[GDDA]

8.6 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उ0प्र0 के बाहर स्थित किसी भी संस्थान से उत्तीर्ण की है एवं उनके माता और पिता उ0प्र0 के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं (कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है)। ए0के0टी0यू0 से सम्बद्ध निजी संस्थानों के टेक्नोलॉजी/आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में कुल स्वीकृत क्षमता के मात्र 10 प्रतिशत सीटों पर ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ प्रवेश के लिए विचार किया जा सकेगा।

[OSGE]

8.7 विभिन्न प्रमाण पत्रों हेतु प्रोफार्मा: परिशिष्ट—‘डी’ पर उपलब्ध है।

9. सीटों का आरक्षण

9.1 ऊर्ध्वाधर आरक्षण (श्रेणी)

(क)	उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति	:	प्रत्येक पाठ्यक्रम में:
(ख)	उ0 प्र0 की अनुसूचित जनजाति	:	समस्त प्रवेश सीटों का 21 प्रतिशत
(ग)	उ0 प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग	:	समस्त प्रवेश सीटों का 02 प्रतिशत

9.2 क्षैतिज आरक्षण (उप श्रेणी): प्रत्येक पाठ्यक्रम में:

(क)	उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्राता सेनानियों	(कोड UPFF)
-----	--	--------------------

:समस्त सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत के आश्रितों के लिए

(ख)	उत्तर प्रदेश के सेवा निवृत अथवा अपंग :समस्त सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत— रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा— कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा— कर्मियों के पुत्र—पुत्रियों को अथवा उ.प्र. के अधिवासी ऐसे रक्षाकर्मियों को जो परीक्षा तिथि को उ.प्र. के बाहर नियुक्त हैं।	(कोड UPAF)
-----	---	--------------------

(ग)	द्विव्यांग जनों के लिए (कोड UPHC)
-----	---

:समस्त सीटों का अधिकतम 03 प्रतिशत

(घ)	महिलाओं के लिए (कोड UPGL)
-----	-----------------------------------

:समस्त सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

9.3 क्षैतिज आरक्षणों में मात्र एक आरक्षण ही अभ्यर्थी ले सकेगा। विस्तृत विवरण हेतु कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

9.4 आवेदन पत्र (कन्फर्मेशन पेज) में अभिलिखित श्रेणी एवं उपश्रेणी में परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

- 9.5** Appendix-D में दिये गये प्रारूपों पर संबंधित प्रमाण पत्र श्रेणी/उपश्रेणी के प्रमाण स्वरूप काउन्सिलिंग/डाकूमेन्ट वेरिफिकेशन के समय प्रेषित करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
- 9.6** प्रस्तर 9.2 ख के अन्तर्गत अनुमन्य अभ्यर्थियों को क्वैटिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने के लिए तैनाती/निवास की तिथि प्रवेश परीक्षा की तिथि मानी जायेगी।
- 9.7** उपश्रेणी में आरक्षण के लिये प्रस्तर 9.2 (क), (ख) एवं (ग) के संबंधित क्रमशः प्रमाण पत्र संख्या 4, 5 एवं 6 आवश्यक होंगे।
- 9.8** शुल्क मुक्त सीटों की संस्थानवार उपलब्धता काउन्सिलिंग के समय प्रदर्शित की जायेगी।
- 9.9** UPGD एवं UPGE के महिला अभ्यर्थियों को UPGL उप श्रेणी का लाभ स्वतः ही मिल जायेगा।

10. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये अधिमान:

- 10.1** सामान्य श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्थान से पास की है, का UPSEE-2019 से बी0टेक0/बी0फार्म0/बी0आर्क0/बी0डेस0/बी0एच0एम0सी0टी0/बी0एफ0ए0डी0/बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम के लिए संबंधित प्रश्न पत्रों में प्राप्त कुल अंकों का 3 प्रतिशत अधिमान दिया जायेगा।
- 10.2** इसके लिए उक्त संस्थान ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र में स्थित हो तथा उक्त क्षेत्र औद्योगिक विकसित क्षेत्र न हो। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र संख्या-7 काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा, जो विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 'डी' में दिया गया है।
- 10.3** ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को यह अधिमान नहीं दिया जायेगा, जो अन्य किसी प्रकार के आरक्षण की मांग करते हैं। द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश पाने के लिए अधिमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- 10.4** प्रस्तर. 8.3 में परिभाषित UPGD वर्ग के अभ्यर्थियों को यह अधिमान अनुमन्य नहीं है।

11. शारीरिक नाप तौल : कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

12. परीक्षा शहर/केन्द्र: कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।

13. प्रवेश पत्र :

- 13.1** अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट <http://www.upsee.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा। वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्र वैध माना जायेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर इंगित श्रेणी, उप श्रेणी, ग्रामीण अधिमान, लिंग, नाम एवं पिता का नाम आदि की जांच कर लें।
- 13.2** किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 13.3** यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश पत्र Download करने में असफल है, तो Helpline जो <http://www.upsee.nic.in> वेबसाइट पर प्रदर्शित है से 20 अप्रैल, 2019 तक सम्पर्क करने का कष्ट करें अथवा upseehelpdesk@aktu.ac.in पर 20 अप्रैल 2019 तक ईमेल कर सकते हैं।
- 13.4** यह दलील कि अभ्यर्थी को UPSEE-2019 परीक्षा में बैठने की सूचना या अनुमति नहीं प्राप्त हुई है, शुल्क की वापसी या किसी अन्य क्षतिपूर्ति के लिये मान्य नहीं होगी। डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यह अधिकार है कि यदि ऐसे अभ्यर्थी को, जो UPSEE-2019 परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है, त्रुटिवश प्रवेश पत्र जारी हो गया है और उसने परीक्षा के केन्द्र अधीक्षक के सम्मुख उसे प्रस्तुत भी किया है, तो भी उसे परीक्षा में बैठने की दी गयी अनुमति वापस ले ली जायेगी।
- 13.5** प्रवेश पत्र में किसी संशोधित एडमिट कार्ड वेबसाइट www.aktu.ac.in, www.upsee.nic.in से परीक्षा में बैठने से पूर्व डाउन लोड कर लें।
- 13.6** चूंकि सफल अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग एवं प्रवेश के समय प्रवेश पत्र की आवश्यकता होगी, अतः वे उसे अपने पास तब तक सुरक्षित रखें जब तक UPSEE-2019 से प्रवेश पूर्ण न हो जाय।

- 14.** परीक्षा माध्यम तथा मूल्यांकन पद्धति: कृपया विवरण पुस्तिका के अंग्रेजी संस्करण का पैरा 14 देखें।
- 15.** काउन्सिलिंग:
- 15.1** आन लाइन काउन्सिलिंग से संबंधित विवरण/प्रक्रिया, काउन्सिलिंग दिनांक, काउन्सिलिंग केन्द्रों की सूचना, काउन्सिलिंग कार्यक्रम की सूचना काउन्सिलिंग पत्र के माध्यम से दी जायेगी। उक्त विवरण वेबसाइट www.aktu.ac.in,www.upsee.nic.in पर उपलब्ध रहेगा।
- 16.** प्रवेश परीक्षा शुल्क: कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।
- 17.** दृश्यों फीस आदि: कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।
- 18.** आन लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि: यूपीएसईई-2019 के आन लाइन आवेदन वेबसाइट <http://www.upsee.nic.in> के माध्यम से दिनांक 23 जनवरी, 2019, अपरान्ह 02.00 बजे से भरे जा सकेंगे। आन लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2019, अपरान्ह 5.00 बजे हैं।
- 19.** विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र: विवरण पुस्तिका वेबसाइट <http://www.upsee.nic.in> पर आन लाइन उपलब्ध होगी। उक्त को डाउनलोड/प्रिन्ट किया जा सकता है। आवेदन पत्र किसी भी सुविधा के स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से आन लाइन भरे जा सकेंगे।
- 20.** आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी को निर्देश: कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।
- 21.** आवेदन पत्र भरने के मुख्य तत्व: कृपया विवरण पुस्तिका का अंग्रेजी संस्करण देखें।